तारीख हुक्म	न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–11, जयपुर महानगर–प्रथम, मुख्यालय सांगानेर हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज ममता मीना बनाम राजस्थान सरकार फौज0 निगरानी संख्या : 30 / 2026 सीआईएस नम्बर : 56 / 2026 **अधीनस्थ न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 14, जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर, विरूद्ध आदेश दिनांक 30.04.2026 एवं 14.05.2026 उनवानी प्रकरण ममता मीना बनाम लाड़ा देवी व अन्य, पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व,**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

14.07.2026	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। अपर लोक अभियोजक उपस्थित। उक्त निगरानी, निगरानीकर्ता / परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद में धारा 200 सीआरपीसी के तहत बयान लेखबद्ध किये जाने के आदेश दिनांक 30.04.2026 एवं धारा 202 सीआरपीसी के तहत सम्बन्धित पुलिस थाना को जांच हेतु भिजवाने के आदेश दिनांक 14.05.2026 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर की गई, जिसका निस्तारण किया जा रहा है। निगरानी के सम्बन्ध में उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं निगरानी पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी याचिका के तथ्यों को दोहराते हुए निगरानी याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेशों को अपास्त किये जाने का निवेदन करते हुए निगरानीकर्ता / परिवादिया के परिवाद को धारा 175 (3) बी0एन0एस0एस0 के तहत भिजवाया जाकर एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर को भिजवाये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया। अपर लोक अभियोजक ने निगरानी याचिका का विरोध करते हुए विधिनुसार आदेश पारित करने का निवेदन किया। निगरानी के माध्यम से विचारण न्यायालय के आदेश की शुद्धता, वैधता एवं औचित्यता का परीक्षण किया जाना है। उभय पक्षकारान के तर्को पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष स्थिति यह प्रकट होती है कि विचारण न्यायालय ने परिवादी पक्ष के तर्कों पर मनन कर अपने आदेश दिनांक 30.04.2026 में वर्णित किया है कि **"....पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 223 बी0एन0एस0एस0 (धारा 200 सीआरपीसी) के तहत परिवादी की साक्ष्य लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।** विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.05.2026 में वर्णित किया है कि **"....प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर प्रकरण जांच हेतु**	

तारीख हुक्म	न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–11, जयपुर महानगर–प्रथम, मुख्यालय सांगानेर हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज ममता मीना बनाम राजस्थान सरकार फौज0 निगरानी संख्या : 30 / 2026 सीआईएस नम्बर : 56 / 2026 **अधीनस्थ न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 14, जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर, विरूद्ध आदेश दिनांक 30.04.2026 एवं 14.05.2026 उनवानी प्रकरण ममता मीना बनाम लाड़ा देवी व अन्य, पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व,**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

धारा 202 सीआरपीसी के तहत भिजवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी पक्ष को सुनकर उक्त आदेश पारित किया जाना दृष्टिगत होता है। इसके अलावा यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक हो जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 30.04.2026 को धारा 200 सीआरपीसी के तहत पारित किया गया था, उस आदेश के पश्चात निगरानीकर्ता द्वारा कोई निगरानी याचिका प्रस्तुत नहीं की गई एवं विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2026 को धारा 202 सीआरपीसी के तहत पारित आदेश के पश्चात निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आदेश दिनांक 30.04.2026 से परिवादिया व्यथित नहीं थी, जिसके विरूद्ध निगरानी याचिका एक तरह से पोषणीय नहीं मानी जा सकती है। न्यायिक दृष्टान्त **नागेश्वर प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य निर्णीत दिनांक 18.05.1977 1977 (25) बीएलजेआर 493** में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने धारा 202 सीआरपीसी के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:–

15. Looking at the other part of the impugned order, namely, the order to hold an inquiry under Section 202 of the Code, it is obvious that it also must be held to be interlocutory in nature. The purpose of an inquiry or investigation under Section 202 of the Code is to enable the Magistrate to decide for himself whether there are sufficient grounds for proceeding against the accused. It is well known that when the Magistrate has some doubts left in his mind regarding the truth of the accusations and he does not want to proceed against the accused immediately, he postpones the Issue of process and inquires into the case himself or orders investigation. In other words, in such circumstances the Magistrate does not take any final decision and he wants to ascertain more facts and the truth of the facts stated in order to come to the conclusion as to whether or not there is sufficient ground for proceeding against the accused. The Magistrate thus waits until the inquiry is completed and it is only then that he decides whether to dismiss the complaint under Section 203 or issue process against the accused under Section 204 of the Code. The inquiry under Section 202

तारीख हुक्म	न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–11, जयपुर महानगर–प्रथम, मुख्यालय सांगानेर हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज ममता मीना बनाम राजस्थान सरकार फौज0 निगरानी संख्या : 30 / 2026 सीआईएस नम्बर : 56 / 2026 **अधीनस्थ न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 14, जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर, विरूद्ध आदेश दिनांक 30.04.2026 एवं 14.05.2026 उनवानी प्रकरण ममता मीना बनाम लाड़ा देवी व अन्य, पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व,**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

is thus a step leading to the determination of the question as to whether the complaint should be dismissed or the accused should be proceeded against. The order for holding an inquiry under, Section 202 of the Code can thus by no stretch of imagination be held to be an order affecting the rights of the parties. It must, therefore, undoubtedly be an interlocutory order.

उक्त सम्माननीय न्यायिक निर्णय में धारा 202 सीआरपीसी के तहत जो आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है उसे अन्तर्वर्ती आदेश की श्रेणी में माना गया है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 397 (2) सीआरपीसी पोषणीय नहीं होती है। जहां तक निगरानी की पोषणीयता का प्रश्न है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त **2009 (2) डब्ल्यू एल सी पेज 209 सेठूरमन बनाम राजमणिक्यम** में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि अन्तर्वर्ती आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

अतः निगरानीकर्ता / परिवादिया ममता मीना पत्नी रमेश चन्द मीना द्वारा प्रस्तुत निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 30.04.2026 एवं 14.05.2026 अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30.04.2026 व 14.05.2026 पुष्ट किया जाता है। आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर